झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०–राँची–10 / 2012 .... / राँची, दिनांक : ....

आदेश

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 6637 दिनांक– 18.11.2013 द्वारा श्री मथुरा प्रसाद, (ID-J5645) तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लोहरदगा के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' में उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई। श्री प्रसाद के विरूद्ध मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा लोहरदगा प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यान्वित कुल 142 सिंचाई कूप योजनाओं की मापी हेतु उपलब्ध कराये गये मापी पुस्त में मात्र 69 सिंचाई कूप निर्माण योजनाओं की मापी कर मापीपुस्त में इन्द्राज किया गया तथा शेष 73 मापी पुस्त को इन्द्राज किये बिना यथावत् संबंधित पंचायतों को वापस कर दिया गया।

इनके विरूद्ध यह भी आरोप लगाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कूप निर्माण की योजनाओं के पर्यवेक्षण में शिथिलता बरती गई तथा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह एवं उदासीन रहे।

2. उक्त आरोप की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 2445 दिनांक– 20.03.2014 द्वारा श्री मथुरा प्रसाद के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. पत्रांक– 633 दिनांक– 30.07.2014 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया जिसमें श्री मथुरा प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया कि श्री प्रसाद को क्षमता से अधिक कार्य आवंटित किया गया तथा इनके द्वारा 69 कूपों का मापी किया गया है।

4. जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय कार्यवाहीं में जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री मथुरा प्रसाद, कनीय अभियंता को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।

5. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 3824 राँची / दिनांक 06/09/18

प्रतिलिपि :– सरकार के उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को उनके पत्रांक– 6637 दिनांक– 18.11.2013 के क्रम में / अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री मथुरा प्रसाद, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लोहरदगा / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/08/18

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव